अनुदान संख्या 52 – मंत्रिमंडल
GRANT No. 52–CABINET

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*10,00*	*31*	*–9,69*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	302,69,00	344,47,00	295,86,44	–48,60,56
पूरक	Supplementary	41,78,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				19,59,83
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		80,00,00	32,41,91	–47,58,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				31,45,57

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (4860.56 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 4178.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4860.56 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.4178.00 lakhs obtained in October, 2008 and constituted 14 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2013'' मंत्रिपरिषद	Major Head "2013" Council of Ministers				
मू.	O.	21011.00	21985.21	18270.36	–3714.85
पू.	S.	1396.00			
पु.	R.	–421.79			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	9069.00			
पू.	S.	2782.00	10281.96	11096.55	+814.59
पु.	R.	–1569.04			

(I) मुख्य शीर्ष ''2013'' - ''मंत्रिमंडल सचिवालय - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय'' के अंतर्गत 977.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 160.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1137.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 197.13 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, विदेश मंत्रालय से दावे प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "2013" – "Cabinet Secretariat – National Security Council Sectt." – the original provision of Rs.977.30 lakhs was augmented to Rs.1137.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.160.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.197.13 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of claims from Ministry of External Affairs and economy measures.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :-

(का) मुख्य शीर्ष ''2013'' -

(क) ''मंत्रिमंडल सचिवालय'' -

(i) ''सचिवालय (मुख्य + वेतन एवं लेखा कार्यालय)'' - 1069.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 610.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1679.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 274.23 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार'' - 215.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 76.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 291.10 लाख रु. कर दिया गया,

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2013" –

(a) "Cabinet Secretariat" –

(i) "Secretariat (Main + PAO)" – the original provision of Rs.1069.00 lakhs was augmented to Rs.1679.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.610.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.274.23 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ii) "Principal Scientific Advisor" - the original provision of Rs.215.10 lakhs was augmented to Rs.291.10 lakhs by obtaining

तथापि, जो सेवानिवृत्त कार्मिकों के वेतन संशोधन संबंधी बकाया दावों का निपटान न किए जाने के कारण 12.08 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

supplementary grant of Rs.76.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.12.08 lakhs – due to non-settlement of arrear claims of pay revision of retired personnel.

(ख) ''प्रधानमंत्री का कार्यालय - स्थापना'' - 1659.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 550.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2209.10 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, विदेश मंत्रालय से दावे प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 304.12 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Prime Minister's Office – Establishment" - the original provision of Rs.1659.10 lakhs was augmented to Rs.2209.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.550.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.304.12 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-receipt of claims from Ministry of External Affairs and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''विशेष सुरक्षा समूह - स्थापना'' - 9069.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2782.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 11851.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, पूर्तिकर्ता द्वारा हथियार और गोला बारूद की पूर्ति में विलंब किए जाने और अधिकारियों द्वारा कम संख्या में दौरे किए जाने के कारण 754.45 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2055" – "Special Protection Group – Establishment" - the original provision of Rs.9069.00 lakhs was augmented to Rs.11851.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2782.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.754.45 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, delay in supply of the arms and ammunition by the supplier and less number of tours undertaken by the officers.

(III) मुख्य शीर्ष ''2013'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(III) Under Major Head "2013" –savings occurred under the following heads:-

(का) ''प्रधानमंत्री का कार्यालय - राष्ट्रीय सलाहकार परिषद'' - 134.06 लाख रु. की बचत (144.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सदस्यों द्वारा कम दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Prime Minister's Office - National Advisory Council" – saving of Rs.134.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.144.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tour undertaken by the members and economy measures

(खा) ''दौरा व्यय'' -

(B) "Tour Expenses" -

(क) ''केंद्रीय मंत्री'' - 2614.19 लाख रु. की बचत (13500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Cabinet Ministers" – saving of Rs.2614.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13500.00 lakhs); and

(ख) ''राज्य मंत्री'' - 679.05 लाख रु. की बचत (2576.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें केंद्रीय/राज्य मंत्रियों द्वारा कम संख्या में दौरे किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 76.10 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 90 प्रतिशत थीं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :-

(b) "State Ministers" – saving of Rs.679.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2576.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less number of tours undertaken by Cabinet/State Ministers.

2. The above savings were partly offset by an excess of Rs.76.10 lakhs under one head constituting 90 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	8000.00	4854.43	3241.91	–1612.52
पु.	R.	–3145.57			

(I) ''विशेष सुरक्षा समूह'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''कार्यालय भवन'' - 889.33 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य'' - 3868.76 लाख रु. की बचत (6800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तिकर्ता से सुरक्षा उपस्करों की सुपुर्दगी प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Special Protection Group" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Office Buildings" - saving of Rs.889.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-execution of work by Central Public Works Department.

(B) "General" - saving of Rs.3868.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6800.00 lakhs) was due to non-receipt of delivery of security equipments from the supplier.